

संख्या-३८१४/१५-७-६ दा १६ जून १९९३
कानूनी विवरण

प्रेषण

मी अधीक गाँगुली,
उप तहिय
उत्तर प्रदेश राजन ।

लेखा मे.

संघिय
इन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा भैंड २ समुदाय भैंड
पुस्ति विभाग, नई दिल्ली ।

लिखा १७। अनुभाग

लिख्य:- इन्द्रिय गाँधी ऐसो रियल प्रिंसिपल स्कूल तिरतानेज फिरोजाबाद को ती०वी०स०इ० नई दिल्ली है तम्बूता है उनासता प्रमाण यत्र दिये जाने हे तम्बूता मे ।

स्वोट्ट

उपसुक्ता विषयक पर मुझे यह छहने का निष्ठा हुआ है कि इन्द्रिय गाँधी ऐसो रियल प्रिंसिपल स्कूल तिरतानेज फिरोजाबाद को ती०वी०स०इ० नई दिल्ली है तम्बूता प्रुदान किये जाने मे इस राज्य सरकार दो निम्नलिखित प्रतिबन्धों के जर्ही आपत्ति नहीं है ।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत तोताइटी का सम्म तम्म पर नवीनी भरण बराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध तमिति मे शिक्षा निष्ठाक द्वारा नामित एवं तदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय मे क्षम से क्षम दस प्रतिशत स्थान अनुत्तुष्टिजाति/अनुत्तुष्टिजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तंयानित विद्यालयों मे विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- तंयाद्वारा राज्य सरकार ते किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और पर्दि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद ते/विद्यालय के द्वाय माध्यमिक शिक्षा परिषद/को सिन कार दि ईडियन स्कूल सटीक्सेट हवजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उत परोधा परिषदों से तम्बूता प्राप्त होने की तिथि ते परिषद से सम्पादा तथा राज्य सरकार ते अनुदान स्थान तमादा हो जायेगी ।
- 5- संत्यार्थिक एवं शिखण्डार कर्म्मारियों की राजकीय तहायता प्राप्त गिर्वान, तंयाज्ञों के कर्म्मारियों को अनुम्न्य घेतनमानों तथा अन्य भत्ता हे क्षम घेतनमान तथा अन्य भत्ता नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्म्मारियों की तेवा गाँधी जायेगी और उन्हे तहायता प्राप्त अंगातकीय उद्योग माध्यमिक विद्यालयों के कर्म्मारियों की अनुम्न्य

*Principal
India's Memorial Public School
Gangotri (Uttarakhand)
Manager
India's Memorial Public School
Gangotri (Uttarakhand)*

17। राज्य तरकार द्वारा तम्ह तम्ह पर जो भी उद्देश निर्गत किये जायेंगे तस्या ठनड़ा बालन छरेगी ।

18। विद्यालय का दिक्षार्थ निर्धारित प्रपत्र/संक्षिप्तों में रखा जायेगा ।

19। उवत शर्तों में राज्य तरकार के पूर्णामोद्देश के दिन शोई परिवर्तन/तांगोधन पर परीक्षण नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तस्या द्वारा यह तुनिरिवित लिखा जाय कि 3 कर्ते के भीतर विद्यालय के निवी भवन का निर्माण बरवाकर शालन जो अवगत छरवाया जायेगा ।

3- उक्ता प्रतिबन्धों का पालन बरना तस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तम्ह यह पापा जाता है कि तस्या द्वारा उवत प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अपवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या गिरिलता बरती जा रही हैतो राज्य तरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गुरुली
उप सचिव ।

000 3814111/15-7-1993 तदक्रमांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुम्हार्य स्व आव्ययक कार्यघाटी हेतु
प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महानीय उप शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निदेशक, फिरोजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक बन्दरा गाँधी पब्लिक स्कूल, तिरतामीज, फिरोजाबाद ।

आम्भा ते,

Shivaji

अशोक गुरुली
उप सचिव ।

Principal
Indira Memorial Public School
Sirsaganj (Firozabad) U. P.

Manager

Indira Memorial Public School
Sirsaganj (Firozabad) U. P.